रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072022-237279
CG-DL-E-14072022-237279

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 505] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 14, 2022/आषाढ़ 23, 1944
No. 505] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 14, 2022/ASHADHA 23, 1944

Indiacode

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सा. का. नि. 575(अ).—केंद्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 11क और धारा 12कक के साथ पठित धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) संशोधन नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव)नियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 2 में, उपनियम (1) में, --

(i) खंड (खक) में, --

(क) उप-खंड (v) में "व्यष्टियों का निकाय, और" शब्दों के स्थान पर "व्यष्टियों का निकाय," शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उप-खंड (v) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(vक) कोई व्यक्ति जो भारत में रिपोर्टकर्ता इकाई का प्रधान है, यदि रिपोर्टकर्ता इकाई किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित है; और ";

(ii) खंड (घ) में, -

(क) उप-खंड (ग) के दूसरे परंतुक में, "बैंक खाता विवरण"शब्दों के पश्चात् "या यदि रिपोर्टकर्ता इकाई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित है तो विदेशी बैंक का विवरण" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(iii) तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में विदेशी अधिकारिता या उनके द्वारा प्राधिकृत अभिकरणों द्वारा उनके, नाम, जन्म तारीख और विदेश की राष्ट्रीयता का पता तथा फोटो सहित, सरकार द्वारा जारी किया गया राष्ट्रीय पहचान पत्र और मतदाता पहचान पत्र, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो को भी शासकीय विधिमान्य दस्तावेज के रुप में समझा जाएगा ।"

(iv) खंड (गख) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(गखक) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र से विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 18 के अधीन गठित कोई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र अभिप्रेत है";

3. उक्त नियमों में, नियम (9क) में, उप-नियम (1) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह कि किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में किसी ऐसे उपभोक्ता के लिए जो कोई विदेश का नागरिक है, के लिए ऐसी प्राप्ति, भंडारण, अभिलेखों की सुरक्षा और पुनर्प्राप्ति, अपेक्षित नहीं होगी"

[फा. सं. पी-12011/6/2020-ईएस सेल-डीओआर]

मेहता संपदा सुरेश, निदेशक (मुख्यालय)

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 444(अ) तारीख 1 जुलाई, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. सं. 800(अ), तारीख 28 दिसंबर, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।

IndiaCode

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2022

G. S. R. 575(E).—In exercise of the powers conferred by section 73 read with sections 11A and 12AA of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, namely:—

1. Short title commencement.- (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1),-

(i) in clause (ba),-

(a) in sub-clause (v), for the words "body of individuals, and", the words "body of individuals;" shall be substituted;

(b) after sub-clause (v), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

"(va) a person who is heading the reporting entity in India, if the reporting entity is located in an International Financial Services Centre; and";

(ii) in clause (d),-

(a) in sub-clause (c) of the second proviso, after the words "bank account statement", the words "or if the reporting entity is located in an International Financial Services Centre, statement of foreign bank" shall be inserted;

(iii) After the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that in an International Financial Services Centre, the national identity card and voter identification card, by whatever name called, issued by the Government of foreign jurisdictions or agencies authorised by them capturing the photograph, name, date of birth and address of a foreign national shall also be considered as officially valid document:";

(iv) after clause (cb), the following clause shall be inserted, namely:-

'(cba) "International Financial Services Centre" means an International Financial Services Centre set up under section 18 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005);'.

3. In the said rules, in rule 9A, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that in an International Financial Services Centre, no such receiving, storing, safeguarding and retrieving of records shall be required for a client who is a foreign national.".

[F.No. P-12011/6/2020-ES Cell-DOR]

MEHTA SAMPADA SURESH, Director (Headquarter)

Note: The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide numbers G.S.R. 444 (E), dated the 1st July, 2005 and last amended, vide number G.S.R. 800(E), dated the 28th December, 2020.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2022.07.14 16:05:52 +05'30'